

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी.डी.एम.ए., रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक 19 जून, 2018

विषय:-

एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना Construction of Police Check Post and X-Ray Scanning Countre/Shelter at Sonprayag for safe and secure movements of tourist. Project Code - 12418 हेतु पुनरीक्षित आगणन पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-807/DDMA/2015-16, दिनांक 16 फरवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डी.डी.एम.ए. रुद्रप्रयाग द्वारा एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत Construction of Police Check Post and X-Ray Scanning Countre/Shelter at Sonprayag for safe and secure movements of tourist हेतु कार्यदायी संस्था सिविल कार्य इकाई, डी.डी.एम.ए. रुद्रप्रयाग द्वारा गठित पुनरीक्षित तकनीकी आगणन पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-974/XVIII-(2)/16-4(25)/2016, दिनांक 02 जून, 2016 द्वारा एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत Construction of Police Check Post and X-Ray Scanning Countre/Shelter at Sonprayag for safe and secure movements of tourist कार्य हेतु ₹ 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। कार्यदायी संस्था सिविल कार्य इकाई, डी.डी.एम.ए. रुद्रप्रयाग द्वारा स्वीकृत लागत के अंतर्गत ही सुरक्षित उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल/साप कम हो जाने के कारण, संयुक्त स्थल निरीक्षण के पश्चात उक्त निर्माण कार्य अपरिहार्यता आवश्यकता एवं समबद्धता के दृष्टिगत उक्त कार्य को उक्त स्थल पर ही कराये जाने के उद्देश्य से डिजाईन एवं ड्राइंग में आवश्यक परिवर्तन कराये जाने के प्रस्ताव/पुनरीक्षित आगणन पर शासन वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा उक्त पुनरीक्षित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का परामर्श दिया गया है। अतः श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त पुनरीक्षित आगणन पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. दिनांक 06.04.2018 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त कार्य के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या-966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015, दिनांक 06.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-1425/XVIII-(1)/17-15(15)/2015, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण कर ली जायेंगी।
 6. यदि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कोई धनराशि व्यय की गई है तो उसका समायोजन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है एवं शासनादेश द्वारा कार्य की विशिष्टियों/मदों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी/निर्माण इकाई का होगा।
 8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट/योजना से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तभी अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाय।
 9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 10. कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
 11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त किये गये कार्यों की फोटोग्राफ रखे जायेंगे। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा।
 12. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-519/(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या— (1) /XVIII-(2)/2018-4(25)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव